GCMS No.- 2025/46

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी	अप्रार्थी
मोहनलाल पुत्र चैनाराम, जाति भील, निवासी मेरमाण्डवाड़ा, तह. व जिला सिरोही, हाल माउण्ट तह. रेवदर जिला सिरोही।	**राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही।**

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 32/2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.11.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री पुष्पेन्द्र चौधरी व स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/867 दिनांक 27.09.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा के खाता सं. 196 खसरा सं. 1660 रकबा 0.5900 हैक्ट. व खसरा सं. 1661 रकबा 0.4500 हैक्ट. की सहखातेदारी की आराजी में प्रार्थी की माता का खातेदार के रूप में नाम अन्दुरी पुत्री तारा दर्ज है जबकि सही नाम संतु देवी है। ग्राम मेरमांडवाडा में स्थानीय लोगो ने अन्दूरी व संतुदेवी एक ही महिला होने की पुष्टि की है। अन्दुरी घर का नाम होने से राजस्व रेकर्ड में अन्दुरी पुत्री तारा दर्ज किया गया। तारा पुत्र रूपा भील की मृत्यु होने से ना. सं. 1099/10.06.1987 के द्वारा वारिसान जमनी बेवा तारा व अन्दुरी पुत्री तारा दर्ज हुआ। अन्दुरी अपने ससुराल आबुपर्वत में रहती थी, जिसके मृत्यु से पहले बने दस्तावेजों में नाम संतुदेवी पत्नि चेनाराम दर्ज है। मौका–फर्द के अनुसार तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर–कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति में प्रार्थी की माता का नाम संतुदेवी दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा की उक्त खाता सं. 196 की आराजी में खातेदार का नाम अन्दुरी पुत्री तारा के स्थान पर संतुदेवी पुत्री तारा दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***राजस्व ग्राम मेरमांडवाडा, पटवार हल्का मेरमांडवाडा के खाता सं. 196 खसरा सं. 1660 रकबा 0.5900 हैक्ट. व खसरा सं. 1661 रकबा 0.4500 हैक्ट. की आराजी में खातेदार का नाम अन्दुरी पुत्री तारा के स्थान पर संतुदेवी पुत्री तारा संसोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	